कार्यालय केन्द्रीय नजारत,
जनपद न्यायालय, लखनऊ
नीलामी सूचना दिनांक 17.02.2023

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, लखनऊ में पुराने निष्प्रयोज्य फर्नीचर व अन्य सामग्रियों की दिनांक 03.03.2023 को सायंकाल 04:00 बजे उत्तरी खण्ड़ भवन के भूःतल पर स्थित सभागार कक्ष में होगी।

उपरोक्त पुराने निष्प्रयोज्य फर्नीचर एवं अन्य सामग्रियों की बोली लगाने हेतु प्रतिभूति के रूप में मु0 15,000/–रू0 की नकद धनराशि इस जनपद न्यायालय के केन्द्रीय नजारत के कमरा नं0–7 में नीलामी के नियत तिथि के पूर्व दिनांक 28.02.2023 तक प्रत्येक कार्य दिवस में अपरान्ह् 12 से 02 बजे तक जमा करते हुए उससे सम्बन्धित रसीद प्राप्त की जा सकेगी। प्रतिभूति की धनराशि जमा न करने की स्थिति में उसे नीलामी बोली बोलने का अधिकार नहीं होगा। उपरोक्त पुराने निष्प्रयोज्य एवं अन्य सामग्री दीवानी न्यायालय, लखनऊ परिसर में स्थित नजारत अनुभाग के भवन के ऑगन में एकत्र है, जिसे किसी भी कार्य दिवस में अपरान्ह् 12:00 से 02:00 बजे तक देखा जा सकता है।

उपरोक्त पुराने निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी से सम्बन्धित अन्तिम बोली जिस प्रतिभागी के पक्ष में छूटेगी, उस पर नियमानुसार कर की धनराशि अलग से जमा करना अनिवार्य होगा तथा अंतिम बोली की धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि तुरन्त नीलामी स्थल पर जमा करना होगा तथा अन्तिम बोली की अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि तीन दिवस में जमा करने के पश्चात् उपरोक्त निष्प्रयोज्य सामग्रियों को स्थल से तुरन्त उठवाया जायेगा। अन्यथा प्रभार के रूप में स्वीकृत बोली 01 प्रतिशत धनराशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त से सम्बन्धित जमा की जाने वाली धनराशि नकद जमा की जायेगी। उससे सम्बन्धित किसी प्रकार की चेक, ड्राफ़्ट व बिल आदि ग्रहण नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त नीलामी की तिथि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/वृद्धि किये जाने अथवा स्वीकृत/अस्वीकृति का अधिकार तथा किसी प्रकार के विवाद के लिए अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकारी माननीय जिला जज, लखनऊ के अधीन सुरक्षित होगा। जो सभी को मान्य होगा।

Pushkar upadhyay
17/2/2

पुष्कर उपाध्याय,
एच0जे0एस0,
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश, ई0सी0 ऐक्ट/
अपर जिला न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4,
लखनऊ।